बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::आदेश::

आ0सं0–15/बि0स0से0–03–08/2017 सा0प्र0 5986 **/पटना–15, दिनांक** 19.5.17

राजस्व पर्षद, बिहार के पत्रांक 686 दिनांक 10.03.2017 द्वारा श्री रणजीत सिंह, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक सम्प्रति सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार के विरूद्ध अभिलेखों में स्वयं अंतर्वेशन/अपलेखन कर उन्हें स्वीकृति योग्य बनाने, परीक्षा केन्द्र पर अनाधिकृत कार्य करने एवं परीक्षार्थियों को कदाचार में सहायता करने, राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए आयोजित हिन्दी विषय की मौखिक परीक्षा में परीक्षार्थियों की सूची में हेरफेर करने, मतदान हेतु घर जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर कार्यालय में देर रात तक उपस्थित रहने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1)(क) के प्रावधानों के तहत आदेश निर्गमन की तिथि से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री सिंह को विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है, जिसके लिए अलग से ज्ञाप निर्गत किया जायेगा।

(ह0) 19/5/17
(एम0एस0अंसारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–03–08/2017 सा0प्र0 5986 **/पटना–15, दिनांक** 19.5.17

प्रतिलिपि:–सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 19/5/17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–03–08/2017 सा0प्र0 5986 **/पटना–15, दिनांक** 19.5.17

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, छपरा/श्री रणजीत सिंह, सहायक, राजस्व पर्षद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 19/5/17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/बि0स0से0–03–08/2017 सा0प्र0 5986 **/पटना–15, दिनांक** 19.5.17

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–16 एवं 17, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 19/5/17
सरकार के अवर सचिव।

o/c

85
PK/sush/office order